

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से
 जिला से दा० खा० वा० सं०

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
1	2	3															
	<p>श्री <u>श्रीमती ग्यास्ती कुमारी</u></p> <p>वत्स w/o <u>महेन्द्र चौधरी</u> ग्राम <u>कडवा</u> <u>सुरखी</u> <u>मिन</u></p> <p>थाना <u>खैरा</u> जिला <u>सिमर</u></p> <p>पॉ वाला नं० <u>21976</u> दिनांक <u>31/7/12</u></p> <p>कं आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>मौजा का नाम</td> <td>तौजी नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खसरा</td> <td>एराजी</td> </tr> <tr> <td><u>सावित्री</u></td> <td>—</td> <td>108</td> <td>313</td> <td>412.50</td> </tr> <tr> <td><u>खैरा</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>an</td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इत्कम कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की माँग कर। अभिलेख दिनांक <u>16/09/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुशांसा किये हैं। फलतः उनके अनुशांसा कं आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शर्द्धि पत्र निर्गत करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p>	मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	<u>सावित्री</u>	—	108	313	412.50	<u>खैरा</u>				an	
मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी													
<u>सावित्री</u>	—	108	313	412.50													
<u>खैरा</u>				an													